Regd. No. J. 10

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

[प्राधिकार प्रकाशित] [Published by Auth

अग्रहायण ९, गुरुवार, शक सम्वत् १८८३—नवम्बर ३०, १९६१

Agrahayana 9, Thursday, Shak Samvat 1883—November 30, 1961

भाग ४ (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 28, 1961.

No. F. 7 (31)-L (A)/61.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 23rd day of November, 1961, and is published for general information:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) AMENDMENT ACT, 1961.

(Act No. 39 of 1961)

[*Received the assent of the Governor on the 23rd day of November, 1961.*]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title:*—This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Act, 1961.

2. *Insertion of new section 6B in Rajasthan Act 6 of 1957.*—After section 6A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"6B.—*Regulation of use and maintenance of State car and house.*—The use and maintenance of the State car referred to in sub-section (1) of section 5 and of the house referred to in sub-section (1) of section 6 shall be regulated by rules made in this behalf by the Governor."

3. *Amendment of section 7, Rajasthan Act 6 of 1957.*—Section 7 of the principal Act shall be and shall be deemed always to have been re-numbered as sub-section (1) of that section and, after the said sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be, and shall be deemed always to have been, inserted, namely:—

"(2) Until rules are made under sub-section (1) of this section, read with clauses (d) and (g) of sub-section (2) of section 11, the rules governing the enjoyment of medical facilities by Ministers of the State Government and prescribing the conditions and extent of free accommodation in hospitals and free medical attendance and treatment afforded to such Ministers shall, subject to the provisions of this section, govern and be deemed always to have governed the medical facilities and the conditions and extent of free accommodation in hospitals and free medical attendance and treatment to be afforded to an officer of the Legislative Assembly of the State."

D. C. SHARMA,
Secretary to the Government.

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर २८, १९६१

संख्या एफ. ७ (३१) एल. (ए) ६१:—राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, १९५६ (एक्ट संख्या ४७ सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान लेजिस्लेटिव एसैम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मैम्बर्स एमोल्यूमैण्टस) अमैन्डमैन्ट एक्ट, १९६१ (एक्ट संख्या ३९ सन् १९६१) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९६१

(अधिनियम संख्या ३९, सन् १९६१)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक २३ नवम्बर, १९६१ को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९५६ में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

१. संक्षिप्त नाम:—यह अधिनियम, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

२. राजस्थान अधिनियम संख्या ६ सन् १९५७ में नई धारा ६-खा का निवेशन:—राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ (राजस्थान अधिनियम संख्या ६ सन् १९५७) जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ६-का के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा निविष्ट की जायगी, अर्थात्:—

"६-खा. राज्य की मोटर कार तथा मकान के प्रयोग तथा संधारण का विनियमन:—धारा ५ की उप-धारा (१) में निर्देशित राज्य की मोटर कार का और धारा ६ की उप-धारा (१) में निर्देशित मकान का प्रयोग तथा संधारण, राज्यपाल द्वारा बनाये गये तत्संबंधी नियमों के जरिये विनियमित किया जायगा।"

३. राजस्थान अधिनियम संख्या ६ सन् १९५७ की धारा ७ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ७, उस धारा की उप-धारा (१) के रूप में पुनःसंख्यांकित की जायगी तथा सदैव पुनःसंख्यांकित की हुई समझी जायगी और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उक्त उप-धारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा निविष्ट की जायगी तथा सदैव निविष्ट की हुई समझी जायगी, अर्थात्:—

"(२) जब तक कि धारा ११ की उप-धारा (२) के खण्ड (घ) तथा (छ) के साथ पढ़ते हुए, इस धारा की उप-धारा (१) के अधीन नियम न बनाये जायं, तब तक

वे नियम जिनके द्वारा, राज्य सरकार के मंत्रियों को चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धि प्रशासित होती है तथा उक्त मंत्रियों को अस्पतालों में उपलब्ध निशुल्क आवास तथा नि:शुल्क चिकित्सीय-परिचर्या एवं उपचार की शर्तें व सीमा निर्धारित होती हैं, इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य विधान सभा के अधिकारी को उपलब्ध की जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं को तथा अस्पतालों में नि:शुल्क आवास की एवं नि:शुल्क चिकित्सीय परिचर्या व उपचार की शर्तों व सीमा को प्रशासित करेंगे और सदैव प्रशासित करते रहे हुए समझे जावेंगे।"

डो० सी० शर्मा,

शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।